

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी
उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/रोहतास/सहरसा/मुजफ्फरपुर/
सीतामढ़ी/गया/सिक्किम
सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर,
चकबंदी पदाधिकारी, बक्सर सदर/करगहर (रोहतास)/काँटी
(मुजफ्फरपुर)/परिहार (सीतामढ़ी)/ओबरा (औरंगाबाद)।

पटना, दिनांक 25/02/2019

विषय :- चकबंदी निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में सभी सेवानिवृत्त प्रारूपकों का संशोधित वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान राशि का वसूली के संबंध में।

प्रसंग :- चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 755/चक0 दिनांक 17.07.2012, स्मार पत्र सं0- 986/चक0 दिनांक 04.09.2013, 54/चक0 दिनांक 11.01.2016, 358/चक0 दिनांक 02.06.2017, 148/चक0 दिनांक 12.02.2018 एवं 976/चक0 दिनांक 30.11.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का निदेश किया जाय। चकबंदी निदेशालय के अधीन कार्यरत प्रारूपकों को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतनमान स्वीकृत करने के बिन्दु पर परामर्श प्राप्त किया गया है। प्राप्त परामर्शानुसार चकबंदी निदेशालय में कार्यरत प्रारूपक को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से 4000-100-6000 रुपये स्वीकृत किया गया है। उक्त परामर्श से सभी कार्यालयों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया है। फिर भी निदेशालय से निर्गत अनुदेशों का अवहेलना कर क्षेत्रीय चकबंदी कार्यालयों द्वारा किसी प्रारूपकों को 01.01.1996 से मूल वेतनमान 4500-125-7000 एवं 5000-150-8000 रुपये के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त कर लिया है जो कि अनदेखी कर अधिक भुगतान का मामला बनता है। जो वित्तीय अनियमिता का द्योतक है। निदेशालय स्तर पर समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित प्रारूपकों को दिनांक 01.01.1996 से मूल वेतनमान 4500-7000 एवं 5000-150-8000 में वेतन निर्धारण कराकर उसके अगले प्रक्रम के वेतनमान में ए0सी0पी0 प्राप्त कर लिये है। जो वित्तीय अनियमितता का मामला बन रहा है।

क्र0	कर्म का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्त कार्यालय का नाम
1	2	3
1	श्री अभय कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, बक्सर सदर (बक्सर)
2	श्री वाजिद अली अंसारी, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, करगहर (रोहतास)

3	श्री जब्बार आलम, सेवानिवृत्त प्रारूपक	उप निदेशालय, चकबंदी, सिवान
4	श्री महेश ठाकुर, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, सुपौल (सहरसा)
5	श्री मो० इरफान, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, कांटी (मुजफ्फरपुर)
6	श्री मो० जाकिर हुसैन, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, परिहार (सीतामढ़ी)
7	श्री नित्यानन्द मिश्र, सेवानिवृत्त प्रारूपक	चकबंदी कार्यालय, ओबरा (औरंगाबाद)

इसके अतिरिक्त जिन प्रारूपकों द्वारा अधिक भुगतान प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यथाशीघ्र अपने स्तर से वसूली करने की कार्रवाई की जाय।

इन प्रारूपकों को पूर्व के दिशा-निर्देशों का अवहेलना कर अधिक भुगतान प्राप्त कर सेवानिवृत्ति लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। इस साजिश में स्पष्टतः कार्यालय प्रधान सहायक एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर शामिल होने का मामला बन रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस मामले में यथाशीघ्र अधिक भुगतान का सामंजन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा तृतीय एम०ए०सी०पी० के लिए संशोधित रूप से प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। इन मामले में शिथिलता बरतने पर सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। क्योंकि पूर्व में ही वित्त विभाग के परामर्श के अवगत करा दिया गया है। तथा बार-बार स्मारों के बावजूद मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०)
बिहार, पटना।